

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 6]

दिल्ली, फरवरी 6—फरवरी 12, 2009, बृहस्पतिवार/माघ 17—माघ 23, 1930

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 322]

No. 6]

DELHI, FEBRUARY 6—FEBRUARY 12, 2009, THURSDAY/MAGHA 17—MAGHA 23, 1930

[N.C.T.D. No. 322]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 9 फरवरी, 2009

सं. फा. 10 (373)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/3246.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि., उर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाउट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3024,40,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, नन कम्यूलेटिव, टेक्सेबल बोण्ड्स जो कि डिसेम्बर (2018) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00030244 (सीरीज 51-C) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 25,00,000 (रुपये पच्चीस

लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING
REVENUE AUTHORITY

ORDER

Delhi, the 9th February, 2009

F. No. 10 (373)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3246.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 25,00,000 (Rs. Twenty Five Lac) only on the aggregate value of debentures of

Rs. 3024,40,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non-Convertible, Non-cumulative, taxable bonds in the nature of debenture (2018) Series 51-C bearing distinctive No. 00000001 to 00030244 to be issued by the said company.

दिल्ली, 11 फरवरी, 2009

सं. फा. 10 (508)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/3281.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री भारत एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन प्रा. लि., 13-बी, तीसरी मंजिल, नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,32,50,890 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3200001 से 6525089 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 33,251 (रुपये तैतीस हजार दो सौ इक्यावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 11th February, 2009

F. No. 10(508)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3281.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bharat Export Corporation Pvt. Ltd., 13-B, 3rd Floor, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 33,251 (Rs. Thirty Three Thousand Two Hundred Fifty One) on the aggregate value of shares of Rs. 3,32,50,890 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 3200001 to 6525089 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (509)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/3280.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जे. एच. फिन-वेस्ट (प्रा.) लि., 13-बी, तीसरी मंजिल, नेताजी सुभाष मार्ग, दरिया गंज, दिल्ली-110002 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 7,88,26,670 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 15983125 से 23865791 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 78,827 (रुपये अठहत्तर हजार आठ सौ सत्ताईस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (509)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3280.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry

of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. J. H. Fin-Vest (P) Ltd., 13-B, 3rd Floor, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 78,827 (Rs. Seventy Eight Thousand Eight Hundred Twenty Seven) on the aggregate value of shares of Rs. 7,88,26,670 for equity share certificates with distinctive Nos. 15983125 to 23865791 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (520)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/3287.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एनइसी इंडिया प्रा. लि., ब्लाक-सी-1, पहली मंजिल, प्लाट नं. 1 एण्ड 2, ईश्वर नगर, ओखला क्रॉसिंग, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 23,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 74,00,001 से 3,04,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,30,000 (रुपये दो लाख तीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(520)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3287.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. NEC India Private Limited, Block-C-1, First Floor, Plot No. 1 and 2, Ishwar Nagar, Okhla Crossing, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,30,000 (Rs. Two Lac Thirty Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 23,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 74,00,001 to 3,04,00,000 issued by the said company.

सं. फा. 10 (521)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/3286.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सपोमिडिया इवेन्ट्स इंडिया प्रा. लि., बी-509, दूसरी मंजिल, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,97,30,380 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 16,97,957 से 76,70,994 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 59,731 (रुपये उनसठ हजार सात सौ इकतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

रुपये 19,61,310 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1501826 से 1697956 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1962 (रुपये एक हजार नौ सौ बासठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(524)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3288.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Expomedia Events India Private Limited, B-509, 2nd Floor, New Friends Colony, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1962 (Rs. One Thousand Nine Hundred Sixty Two) on the aggregate value of Shares of Rs. 19,61,310 equity share certificates with distinctive Nos. 1501826 to 1697956 issued by the said company.

सं. फा. 10 (514)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/3293.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दिवान चन्द मेडिकल सर्विसेज प्रा. लि., 10-बी, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 19,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 200000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,900 (रुपये एक हजार नौ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(514)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3293.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Diwan Chand Medical Services Pvt. Ltd., 10-B, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,900 (Rs. One Thousand Nine Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 19,00,000 equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 2,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (514)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/3292.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रीडर्स डाएजेस्ट बुक एण्ड होम एन्टरटेनमेंट (इंडिया) प्रा. लि.,

सी-88/89, पर्यावरण कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110030 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,00,74,500 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 2017450 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 20,075 (रुपये बीस हजार पिछत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(527)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3292.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Readers Digest Book and Home Entertainment (India) Private Limited, C-88/89, Paryavaran Complex, New Delhi-110030 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,075 (Rs. Twenty Thousand Seventy Five) on the aggregate value of shares of Rs. 2,00,74,500 equity Share certificates with distinctive Nos. 10001 to 2017450 issued by the said company.

सं. फा. 10 (528)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/3291.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वैलमेक इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि., ए-28, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110034, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 8,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,14,385 से 4,94,384 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 800 (रुपये आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश और उनके नाम से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No. 10(528)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/3291.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wellmake Engineering Company Private Limited, A-28, Mangolpuri Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110034 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 800 (Rs. Eight Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 8,00,000 equity Share certificates with distinctive Nos. 414385 to 494384 issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority,
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)